(वाद संख्या–213/19)

01.07.2020

परिवादी, जगदीश यादव, उपस्थित हैं।

परिवादी को सुना।

प्रसंगाधीन मामला परिवादी द्वारा अपनी पुत्री, रंजन कुमारी की दिनांक–05.09.2018 को अभियुक्त जंगबहादुर यादव उर्फ जंगल यादव तथा उसके पुत्र सुभाष यादव द्वारा मार–पीट कर जख्मी करने तथा इलाज के क्रम में जख्मी रंजन कुमारी की मृत्यु हो जाने से संबंधित भा0द0स0 की धारा 302/34 के अन्तर्गत संस्थित पिपरा थाना कांड संख्या–215/18 में पुलिस द्वारा भा0द0स0 की धारा 304 के अन्तर्गत दो प्राथमिकी अभियुक्तों में से एकमात्र अभियुक्त जंगबहादुर यादव उर्फ जंगल यादव के विरूद्ध आरोप–पत्र समर्पित किये जाने के आधार पर दाखिल किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, सुपौल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आरोपपत्रित एक मात्र अभियुक्त जंगबहादुर यादव उर्फ जंगल यादव से परिवादी की दोस्ती थी। जब परिवादी की एक दूसरी पुत्री, कंचन देवी का अपने ननदोषी के घर भाग जाने की सूचना घर के लोगों को दी गयी तो इस पर बाताबाती हो गयी और इसी क्रम में आरोपपत्रित अभियुक्त जंगबहादुर यादव ने परिवादी की दूसरी पुत्री रंजन कुमारी के साथ बिना सोचे–समझे मार–पीट किया, जिससे वह जख्मी हो गयी, जिसका इलाज सदर अस्पताल, सहरसा में कराया गया। दिनांक–11.09.2018 को इलाज के बाद सहरसा से अपने घर वापस लौटने के क्रम में उसकी मृत्यु हो गयी। अन्वेषण के क्रम में यह बात भी प्रकाश में आयी कि आरोपपत्रित अभियुक्त जंगबहादुर यादव का हत्या करने का कोई उद्देश्य नहीं था, बल्कि उसने गुस्से में उसके साथ मार–पीट किया जिससे वह जख्मी हो गयी तथा बाद में उसकी मृत्यु हो गयी। पुलिस अधीक्षक, सुपौल ने यह प्रतिवेदित किया है कि आरोपपत्रित अभियुक्त जंगबहादुर यादव उर्फ जंगल यादव का पुत्र होने के कारण प्रस्तुत कांड में सुभाष यादव को फंसा दिया गया है, जबकि उसका इस कांड से कोई लेना–देना नहीं है। दूसरी तरफ परिवादी का आयोग के समक्ष कथन है कि प्रसंगाधीन मामला वर्त्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है तथा परिवादी की ओर से अबतक एक साक्षी का अभिसाक्ष्य कराया गया है। परिवादी का यह भी कथन है कि अभियुक्त उसके साक्षी को न्यायालय में साक्ष्य हेतु उपस्थित होने से रोक रहे हैं।

अब, जबकि प्रसंगाधीन मामला एक सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है तो आयोग के स्तर पर आरोप–पत्र में धारा परिवर्तित करने व एक प्राथमिक अभियुक्त के अभियुक्तिकरण के बिन्दु पर कोई निर्देश व आदेश दिया जाना उचित नहीं होगा।

परिवादी को सलाह दी जाती है कि वे न्यायालय में विधिनुसार याचिका दाखिल कर इस संबंध में वांछित अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। जहांतक परिवादी के साक्षियों की सुरक्षा का प्रश्न है, **पुलिस अधीक्षक, सुपौल को यह निर्देश दिया जाता है कि वे परिवादी के साक्षियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें, जिससे कि वह स्वतंत्र रूप से न्यायालय में अपना अभिसाक्ष्य दे सके।**

उपरोक्त के आलोक में आयोग के स्तर से प्रसंगाधीन मामले को बंद किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश तथा पुलिस अधीक्षक, सुपौल के प्रतिवेदन पृ0–23–22/प0 की प्रति के साथ परिवादी व पुलिस अधीक्षक, सुपौल को सूचनार्थ एवं उचित कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

ह0/–

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक